

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल

माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.के. मिश्रा, ए.सी.जे.

और

श्री न्यायामूर्ति आर.सी.खुल्बे,जे।

17 जून, 2022

वाणिज्यिक कर पुनरीक्षण सं0 01 वर्ष 2015

मध्य:

मैसर्स नेशनल इंजीनियर्स देहरादून रोड।

.....पुनरीक्षणकर्ता / निगरानीकर्ता

और

वाणिज्यिक कर आयुक्त, उत्तराखंड, देहरादून।

.....प्रत्यर्थी

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अधिवक्ता: विद्वान अधिवक्ता श्री अमर शुक्ला

प्रत्यर्थी/उत्तरदाता की ओर से अधिवक्ता : राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर  
सुश्री पूजा बांगा

न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात् निम्नलिखित  
निर्णय किया गया—

निर्णय: (श्री एस.के. मिश्रा, ए.सी.जे.)

कर निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक कर निगरानी, उत्तराखण्ड  
मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे संक्षिप्तता के लिये आगे "वैट अधिनियम"  
से संदर्भित किया गया है) की धारा 55 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वाणिज्यिक कर  
आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील सं0— 83 वर्ष 2012 में पारित निर्णय के विरुद्ध दायर  
की गयी है। उपरोक्त प्रश्नगत निर्णय में संयुक्त आयुक्त (अपील)— द्वितीय द्वारा  
अपील सं0—606 वर्ष 2012 दिनांकित 11.05.2012 में पारित आदेश को पुष्ट किया  
गया है।

2. वर्तमान में प्रकरण के तथ्य विवादित नहीं हैं। पुनरीक्षणकर्ता-निर्धारिती, कार्य अनुबंधों को निष्पादित करने के अतिरिक्त हस्तनिर्मित तार जाल के निर्माण और विक्रय का व्यवसाय भी करता है, तथा विभाग के साथ पंजीकृत है। निर्धारिती के कर का आकलन, मूल्यांकन आदेश दिनांकित 25.01.2011 के तहत, निर्धारण प्राधिकरण द्वारा वैट अधिनियम की धारा 25 (6) के अन्तर्गत किया गया तथा हस्तनिर्मित तार जाल के मु0-40,95,167/-रूपये की स्व-निर्मित बिक्री पर 4% प्रतिशत की दर से कर लगाया गया किन्तु बाद के चरण में निर्धारितों को वैट अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि 'हस्तनिर्मित तार जाल' को एक अवर्गीकृत वस्तु मानते हुए पूर्व में निर्धारित कर की दर में सुधार करते हुये उस पर 12.5% प्रतिशत की दर से कर लगाया जायेगा। निर्धारिती द्वारा निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना सं0-560/xxvii(8) दिनांकित 05.06.2006 को ध्यान में रखते हुए, वैट अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत पारित मूल निर्धारण आदेश दिनांकित 30.04.2012 में सुधार किया तथा हस्तनिर्मित तार जाल के टर्नओवर का आंकलन 12.5% की दर से करते हुये, निर्धारिती के विरुद्ध मु0 3,48,089/- रूपये की अतिरिक्त मांग स्थापित की।

3. कर निर्धारिती द्वारा विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिनके द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिये अपील सं0 606 वर्ष 2012 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 11.05.2012 द्वारा अपील को स्वीकार करते हुये यह अभिनिर्धारित किया कि परिशोधित आदेश दिनांकित 30.04.2012 वैट अधिनियम की धारा 30 के दायरे से बाहर है।

4. विद्वान संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 11.05.2012 से व्यथित होकर, विभाग द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकरण के समक्ष द्वितीय अपील दायर की गयी। पक्षकारगण को सुनने के पश्चात् विद्वान अधिकरण द्वारा निर्णित किया गया कि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित

आदेश मे हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त प्रकरण में निर्णय लेते समय, विद्वान अधिकरण द्वारा निम्नलिखित तर्क दिया गया—

“हमारे द्वारा दोनों पक्षों को सुना तथा अभिलेख का समयक अवलोकन किया। अधिनियम की अनुसूची II बी की प्रविष्टि सं० 128 पूर्व में ‘हस्तनिर्मित तार जाल’ के कराधेय से संबधित थी जिसे अधिसूचना सं०-04/xxvii(8)/2006 दिनांकित 21.01.2006 द्वारा स्थापित किया गया था, किन्तु अधिसूचना सं०-560/xxvii(8)/2006 दिनांकित 21.01.2006 द्वारा परिवर्तित कर एक नवीन प्रविष्टि “वार्प और वैफ्ट” ताना बाना द्वारा निर्मित तार जाल” को प्रतिस्थापित किया गया। दोनों प्रविष्टियों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि “हस्तनिर्मित तार जाल” तथा “वार्प और वैफ्ट” ‘ताना बाना’ द्वारा निर्मित तार जाल” भिन्न भिन्न प्रक्रिया से निर्मित भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। तत्कालीन उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 राज्य में लागू है, तथा वैट अधिनियम की धारा 30 के प्रावधान लगभग-लगभग समान है। प्रत्यर्थी/कर निर्धारिती द्वारा निर्मित वस्तु पर कर का आकलन 4% की दर से उसे स्पष्ट रूप से ‘हस्तनिर्मित तार जाल’ मानते हुए किया गया था। ताना बाना प्रणाली पर तार जाल के निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से भिन्न भिन्न होने के कारण मूल अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत सुधार नहीं किया जा सकता, यह एक विवादित विषय है कि ‘हस्तनिर्मित तार जाल’ तथा ‘ताना बाना’ प्रणाली पर निर्मित तार जाल समान हैं या नहीं तथा इस विवादित विषय से संबधित मूल अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत ठीक नहीं किया जा सकता है। हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय अलहाबाद द्वारा सी०एस०टी० बनाम भारत बोन मिल देवरिया एस०टी०आर० सं० 150/1990(2004 एनटीएन वॉल्यूम 24-300 इलाहाबाद एच०सी०) के वाद में पारित अभिलिखित निष्कर्ष को संदर्भित किया जा रहा है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क पोषणीय पाये गये। परिणामस्वरूप हमारा विचार है कि प्रथम

अपील निर्णित करने में जे0सी0ए0 द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी।  
अतः प्रथम अपीलीय आदेश दिनांकित 30.04.2012 पुष्ट होने योग्य है तथा  
राज्य की अपील खारिज होने योग्य है।”

5. जब प्रकरण हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ, तब वैट अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा बचे हुये टर्नओवर का पुनः मूल्यांकन किया गया तथा समान वस्तु पर 12.5% की दर से कर निर्धारिती पर कर अधिरोपित किया गया। जिसके पश्चात कर निर्धारिती द्वारा संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गयी, जो स्वीकृत हुयी। किन्तु विभाग द्वारा एक द्वितीय अपील उत्तराखण्ड वाणिज्यिक कर अधिकरण देहरादून की पीठ के समक्ष दायर की गयी तथा वैट अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को पुनःस्थापित किया गया।

6. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोग के प्रथम चरण में प्रकरण को विराम दिया गया तथा विद्वान अधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि कर निर्धारिती पर 4% की दर से कर अधिरोपित किया जाना चाहिये न की 12.5% की दर से, तब निर्धारण प्राधिकरण द्वारा वैट अधिनियम की धारा 29 का सहारा लेते हुये बचे हुये टर्नओवर का आकलन करना उचित नहीं था। वास्तव में यह बचा हुआ टर्नओवर नहीं है किन्तु अधिकारियों द्वारा जान बूझकर लिया गया निर्णय है, जिसकी पुष्टि विद्वान अधिकरण द्वारा भी की गयी।

7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि यदि विभाग अभियोग के प्रथम चरण यानि द्वितीय अपील सं0 83 वर्ष 2012 जिसे विद्वान अधिकरण द्वारा निर्णय दिनांकित 31.10.2012 द्वारा निस्तारित किया गया था से व्यथित था तो विभाग अधिकरण या इस न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र था। ऐसा न किये जाने के पश्चात जब प्रकरण पूर्ण रूप से निस्तारित हो गया तब बचे हुये टर्नओवर के मूल्यांकन की आड़ में प्रकरण को पुनः सक्रिय नहीं किया जा सकता।

अतः प्रार्थना की गयी कि प्रस्तुत समीक्षा को स्वीकार करते हुये विद्वान अधिाकरण द्वारा पारित आदेश के साथ साथ निर्धारण प्राधिकरण द्वारा वैट अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत पारित आदेश को अपास्त कर दिया जाये।

8. दूसरी ओर, विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान ब्रीफ होल्डर द्वारा यह तर्क दिया गया कि वैट अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत प्राधिकृत शक्तियां अन्य प्रावधानों से स्वतन्त्र हैं, अतः बचे हुये टर्नओवर के सम्बन्ध में पूर्व में निर्धारण प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण या विद्वान अधिाकरण के द्वारा पारित निर्णय के बावजूद भी निर्धारण प्राधिकरण के पास क्षेत्राधिकार है।

9. उपरोक्त तर्क को समझने हेतु वैट अधिनियम की धारा 29 का अवलोकन करना उचित है। जो इस प्रकार है:—

धारा-29: एस्केण्ड टर्नओवर का आकलन—

(1) जहाँ एक विक्रेता के बाद खंड के तहत मूल्यांकन किया जाता है 25 या किसी वर्ष या उसके भाग के लिए खंड 26, निर्धारण प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कर अवधि के सम्बन्ध में विक्रेता के सम्पूर्ण या टर्नओवर का कोई भाग—

(ए) मूल्यांकन से बच गया; या

(बी) मूल्यांकन के अधीन है; या

(सी) उस दर से कम दर पर मूल्यांकन किया गया है जिस पर यह आकलन योग्य है; या

(डी) गलत तरीके से किसी भी छूट या कटौती की अनुमति दी गई है; या

(ई) उसमें किसी भी कर क्रेडिट को गलत तरीके से अनुज्ञात किया गया है, तो निर्धारण प्राधिकरण, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के बाद, डीलर को एक नोटिस देगा और डीलर को सुनवाई का एक उचित अवसर देने और ऐसी पूछताछ करने के बाद जो वह आवश्यक समझता है, वह कानून के अनुसार डीलर के कारोबार और कर का आंकलन या पुनर्मूल्यांकन करेगा और इस अधिनियम के प्रावधान जहाँ तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

बशर्ते कि कर उस दर से प्रभारित किया जाएगा जिस पर यह किया गया होगा।

प्रभारित यदि कारोबार मूल्यांकन या पूर्ण मूल्यांकन से नहीं बचा था, जैसा भी मामला हो।

स्पष्टीकरण (1) : इस उप-खंड की कोई भी बात निर्धारण प्राधिकरण को अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार मूल्यांकन करने से रोकने वाली नहीं मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण (2) : इस खंड और खंड 30 के प्रयोजनों के लिए, "निर्धारण प्राधिकरण" से वह अधिकारी अभिप्रेत है जिसने पूर्व निर्धारण आदेश, यदि कोई हो, पारित किया है और इसमें विक्रेता का निर्धारण करने के लिए फिलहाल अधिकार क्षेत्र रखने वाला अधिकारी भी शामिल है।

स्पष्टीकरण (3) : इस उपखंड के अधीन सूचना जारी किए जाने के होते के बावजूद जहां निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन का आदेश ऐसी सूचना जारी किए जाने से पूर्व से अस्तित्व में है, वहां ऐसी सूचना के अनुसरण में इस खंड के अधीन किए गए निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन के आदेश द्वारा परिवर्तन किए जाने तक यह प्रभावी बना रहेगा।

(2) खंड में अन्यथा दिए गए प्रावधान को छोड़कर

28 या इस खंड के अधीन, निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन का कोई आदेश उपखंड (1) के अधीन उस वर्ष के अंत से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा, जिसके सम्बन्ध में कर निर्धारणीय है।

(3) निर्धारण वर्ष, जिसके लिए निर्धारण किया जाना है, की समाप्ति के बाद 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले तीन वर्षों और नौ महिनों के भीतर निर्धारण या पुनर्निर्धारण किसी भी समय पारित किया जा सकता है, बशर्ते कि इस खंड के तहत नोटिस उस निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद 30 सितम्बर को समाप्त होने वाले तीन साल और छह महिने की अवधि के भीतर दिया गया हो, जिसके लिए निर्धारण किया जाना है।

(4) यदि आयुक्त स्वयं का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अभिलिखित कारणों के आधार पर संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा करना न्यायसंगत और समीचीन है, तो वह उस और से निर्धारण प्राधिकरण को प्राधिकृत कर सकता है और फिर ऐसा निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के बाद किया जा सकता है, लेकिन ऐसे निर्धारण वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं, इसके बावजूद कि ऐसे निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन में राय में परिवर्तन शामिल हो सकता है।”

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहां किसी विक्रेता का किसी वर्ष या उसके भाग के लिए वैट अधिनियम की धारा 25 या धारा 26 अन्तर्गत मूल्यांकन किया जाता है, वहां निर्धारण प्राधिकरण के पास यह मानने का कारण है कि किसी कर अवधि के संबंध में विक्रेता पूरा टर्नओवर का कोई हिस्सा—

(ए) मूल्यांकन से बचा हो; या

(बी) कम मूल्यांकित हुआ हो; या

(सी) उस दर से कम दर पर मूल्यांकन किया गया है जिस पर यह आकलन योग्य है; या

(डी) गलत तरीके से किसी भी छूट या कटौती की अनुमति दी गई है; या

(ई) गलत तरीके से उसमें किसी भी टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी गई है; निर्धारण प्राधिकरण, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के पश्चात अग्रिम मूल्यांकन के लिए डीलर को एक नोटिस देगा।

11. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वैट अधिनियम की धारा 29 तभी लागू होगी जब निर्धारण प्राधिकरण के पास यह मानने का कारण हो कि विक्रेता के किसी कारोबार का कम आकलन किया गया है, या उस दर से कम दर पर मूल्यांकन किया गया है जिस पर वह आकलन योग्य है, या उसे कोई छूट दी गई है, जिसका वह हकदार नहीं है। यह निर्धारण प्राधिकरण को छूट गए कारोबार के मूल्यांकन की आड़ में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण या वाणिज्यिक कर अधिकरण द्वारा पारित निर्णय की पुनः जांच करने का अधिकार नहीं देता है।

यह प्रावधान तभी लागू किया जा सकता है, जब यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ टर्नओवरों पर उचित रूप से कर अधिरोपित नहीं किया गया है। द्वितीय, अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि अभियोग के प्रथम चरण में विद्वान अधिकरण के समक्ष जो प्रश्न उठाया गया था, वह यह था कि क्या 'हस्तनिर्मित तार जाल' ताना बाना प्रणाली पर निर्मित किया गया था, और क्या यह 4% की दर पर कर अधिरोपित किये जाने योग्य है। इस प्रकार यह निर्धारण प्राधिकरण के लिए छूट गये टर्नओवर पर कर लगाने के उद्देश्य से मूल्यांकन को पुनः खोलना उचित नहीं है।

12. इस प्रकरण में हमारी राय है कि मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आदेश कायम रखने योग्य नहीं है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए। तदनुसार प्रस्तुत समीक्षा स्वीकार की जाती है। तदनुसार विद्वान अधिकरण द्वारा दिनांक 31.10.2012 को पारित आदेश और प्रथम अपीलीय अधिकरण द्वारा दिनांक 11.05.2012 को पारित आदेश, उपास्त किया जाता है।

व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

इस आदेश की अविलम्ब प्रमाणित प्रतियां नियमानुसार पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को अविलम्ब प्रदान की जाये।

एस0के0 मिश्रा ए0सी0जे0

दिनांक: 17 जून, 2022

राहुल

आर0 सी0 खुल्बे, जे0।